

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश

प्राविधिक शिक्षा विभाग

संख्या-2877/प्र0फी0नि0स0/2022

लखनऊ दिनांक 23 जून, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

(क) डिग्री स्तरीय संस्थानों हेतु:-

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	बी0टेक0	55,000.00
02	बी0फार्मा0	63,300.00
03	बी0आर्की0	57,730.00
04	बी0एफ0ए0	85,250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85,250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70,000.00
07	एम0बी0ए0	59,700.00
08	एम0सी0ए0	55,000.00
09	एम0फार्मा0	68,750.00
10	एम0आर्की0	57,500.00
11	एम0टेक0	57,500.00
12	समस्त बी0 वोकेशनल पाठ्यक्रमों हेतु	26,900.00
13	एम0बी0ए0 इन्ट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु	25,750.00

(ख) डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों हेतु:-

- निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	रु0 30,150.00
02	डी0फार्मा0	रु0 45,000.00
03	डी0आर्की0	रु0 30,250.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	रु0 31,300.00

- निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्मा0 के अतिरिक्त)	22,500.00

- सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रु0 19,000.00

उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

3. मानक शुल्क से सहमति की दशा में-

जो संस्थाएँ निर्धारित मानक शुल्क को स्वीकार करना चाहती हैं, वे समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर अपना आन-लाइन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 15 दिन के

अन्दर उपलब्ध करायेंगी। उन संस्थाओं के मानक शुल्क आदेश सहमति प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जायेंगे।

4. मानक शुल्क से असहमति की दशा में—

ऐसी संस्थाएँ जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से असहमत होने की दशा में मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं उन्हें उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) **विनियमावली-2015 के बिन्दु-4(4) एवं 05 के नियम के प्राविधानों के क्रम में** समिति के समक्ष मानक शुल्क आदेश निर्गत होने की तिथि से विलम्बतम 30 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर अपना **आन-लाईन आवेदन** निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध करायें।

- (1) संस्थान द्वारा आवेदन/प्रस्ताव में ट्रस्ट की एवं संस्थान की पृथक-पृथक बैलेन्स सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (2) संस्थान में यदि डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो उनका विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (3) संस्थाओं द्वारा आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) **विनियमावली-2015 के विनियम-4(4) एवं 5 में** निर्धारित बिन्दुओं के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत करेगी, जिनके अभाव में उस मद के व्यय का संज्ञान नहीं लिया जायेगा एवं संस्थाओं द्वारा डिफीशिएन्सी रिमूवल से सम्बन्धित अभिलेख सूचना प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर आनलाईन/ई0मेल (afrcup1155@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात डिफीशिएन्सी से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर समिति द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त विनियमावली-2015 के संगत प्राविधानों के तहत शुल्क का आगणन कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।

5. मानक शुल्क से सहमति/असहमति न प्रदान करने की दशा में—

समस्त डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमति अथवा असहमति के सम्बन्ध में संस्थान को आनलाईन के माध्यम से अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, चाहे वे मानक शुल्क से सहमत हो अथवा नहीं। किन्तु ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर आवेदन/प्रत्यावेदन दिया है। उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें

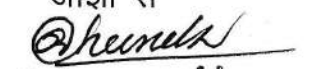
समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है तथा उन संस्थानों हेतु भी 30 दिन उपरान्त मानक शुल्क के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।


राजेश चन्द्रा
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।
- (2) प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित समस्त सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।
- (3) कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
- (5) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- (6) सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
- (7) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
- (8) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
- (9) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेश चन्द्रा)
सचिव



College Code - 1197

Buddha Institute of Hotel Management

Approved by AICTE, New Delhi and Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow, U.P.

CL-1, Sector-7, GIDA, Gorakhpur-273209 (U.P.)

Phone: 9839621881, 9554559900, Fax: 0551-2580415

www.bihm.ac.in

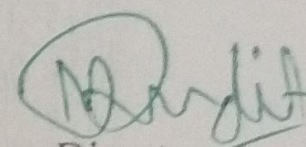
E-mail: bihm.gkp@gmail.com

Ref.No. BIHM/DO/2024-25/01

Dated: 28/12/2024

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is to be hereby declaring that the tuition fee of Buddha Institute of Hotel Management for the BHMCT Program is 70,000/ Year.


Director

